

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसंप्यर, 2002

१३५६

एक

का.आ. 1376(अ).—केन्द्रीय सरकार, निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम, 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०३ा० ३३३२ - (3) तारीख 20 जून, 1985 को उन घातों के सिवाय जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्त किया गया है या करने से लोप किया गया है, अधिक्रमन्त करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शुष्क मत्त्व नियात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम, 2002 है ।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. परिभाषाएँ :— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, :—

( 1 ) " अधिनियम " से निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम, 1963 ( 1963 का 22 ) अभिष्रेत है,

( 2 ) " अभिकरण " से अधिनियम की धारा 7 के अधीन स्थापित मुद्रबई, कोलांकरता, कोच्ची, दिल्ली व चैन्सरी में रिथर, कोई भी एक अभिकरण अभिष्रेत है,

( 3 ) " परिषद् " से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद् अभिष्रेत है,

( 4 ) " शुष्क मत्त्व " से इन नियमों से संलग्न अनुसूची में व्याधिनिर्दिष्ट शुष्क मत्त्व की कोई व्यापार किरम अभिष्रेत है

3. क्वालिटी नियंत्रण या निरीक्षण :— 3.1 लिए आशीर्वित शुष्क मत्त्व की क्वालिटी नियंत्रण या निरीक्षण यह देखने की दृष्टि से किया जाएगा कि शुष्क मत्त्व इसमें नीचे व्यावरणीत मानक विनिर्देशों के अनुरूप है

(1) नमक लगाने की प्रक्रिया विभिन्न परिसरों में की जाए, और उन परिसरों से समुचित रूप से हटा ली जाए जहां अन्य प्रक्रियाएँ की जाती हैं,

(2) मत्त्वां मछली का तजनक करने के लिए, धुलांड के लिए रीमेंट निर्मित ठेवे और मत्त्वां पृष्ठ से छाँस उत्तराने के लिए रेको की सुविधाएँ होंगी ।

(3) मत्त्व के संसाधन के लिए मेज का प्रबंध किया जाएगा। मत्त्व को संराशन करने के प्रयोग में उसकी उचित तरीके से धुलाई की जाएगी। धुलाई कुप्री मत्त्व से अधिक नल की निकासी के लिए जंग रहित छिद्रों सहित विछुड़ी जानी की शीर्ष वाली गोना का प्रयोग किया जाएगा ।

(4) मत्त्व उत्पादों के उपचार में जो लायण प्रयोग ने लायें जाए तब उस लायण को नमक लगाने के उपचार इस प्रकार से किया जाएगा कि उसे संदूषित होने से बचाया जा सके, जमक से बचा हुआ भाग यदि काई है, पुनः नमक प्रयोग नहीं किया जाएगा ।

(5) नमक लगाने के लिए अथवा नमक लगाने की प्रक्रिया के दौरान किसी भी ऐसे प्रकार के डिब्बे का प्रयोग किया जाएगा । जो इस प्रकार से संदूषण होने से बचारा जा सके ।

(6) नमक लगाने या लवणोदन के लिए उपयोग किए जाने वाले आधान या रथान को उपयोग से पूर्त साफ किया जाएगा ।

(7) प्रत्येक मत्त्य के गुद्दे दार भाग पर ; बमक अलग-अलग उचित प्रकार से लगाया जाएगा , और संसाधन कुण्ड में क्रम में रखा जाएगा , कुंडों को उचित चूतरे पर रखा जाए , ताकि वह सीधे फर्श के संपर्क में न आएं और फर्श की उचित सफाई की जा सके ।

3.2 शुष्कन के लिए निम्नलिखित पद्धतियों में से कोई एक पद्धति प्रयोग किया जाएगा ।

### 3.2.1 सूर्य शुष्कन :-

(1) मत्त्य को खुली धूप में साफ रखान पर सुखाई जाएगी , किन्तु यह प्रदूषण और यातायात से दूर होगी ।

(2) छोटी मत्त्य की आंते नहीं निकालनी चाहिए , बड़ी मत्त्य की आंते निकाली जाएगी और सुखाने से पूर्व अबूमोदित स्थान पर धोया जाएगा , धुलाई के लिए ऐसा जल का प्रयोग किया जाना चाहिए ।

(3) कोई भी रथान जो सीमेंट, या काली सतह का मचान मत्त्य को सुखाने के लिए प्रयोग किया जाएगा , सीमेंट से बने हुए स्थानों को अन्य प्रयोजनों के लिए और उन मचानों के नीचे मत्त्य की धुलाई और सफाई निषेध है ।

(4) जब मत्त्य को मचानों पर लटकाया जाए तो उनकी निचली पंसितांयां धारातल से 0.8 मीटर से अन्युन की उंचाई पर होंगी ।

### 3.2.2 कृत्रिम शुष्कन :-

(1). बृंद कमरों की दीवारों और छतें, जो उपचारित मत्त्य को कृत्रिम प्रकार से सुखाने के लिए हो व चिकनी और आसानी से साफ की जा सकती हों ।

(2). कृत्रिम अवरस्थाओं में उपचारित मत्त्य को सुखाने के उद्देश्य से कक्षों को दूर से मापित यंत्रों से सुसज्जित किया जाना चाहिए ।

### 3.3 भवन और सुविधाएं :-

(1) पैकिंग रथापन ऐसे घर के रथारी प्रकृति के भवन में की जाएगी , जो सामान्य जलवायु संकटों से संरक्षण दें सके । अभिकल्प और विन्यास इस प्रकार हो जिससे उत्पादों को संदूषित होने से रोका जा सके ।

(2). जिन क्षेत्रों में खाद्य का रखरखाव हो उन्हे आवासीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त थैत्रों से पृथक किया जाएगा ।

(3). वहां प्रांकृतिक और कृत्रिम प्रकाश ( 110 - 220 लक्ष ) की पर्याप्त व्यवरथा होगी ।

(4) वहां पर पर्याप्त वातायन होनी चाहिए ।

(5) पैकिंग स्थान पर प्रभावी मत्ती रोपांक और कीटों, कृतंकों, पक्षियों और मर्वेशियों के प्रतेश को रोकने के लिए उपायों की व्यवरथा होनी चाहिए ।

(6) कक्ष का फर्श, दीवारे और छत चिकनी होंगी , और रवास्थकर सुविधाओं के अध्यधीन होगा ।

(7) सभी प्रवेश बिन्दुओं पर हाथ पर धोने की सुविधा होगी ।

(8) उपकरण और ब्रतन जंगी रोधी थातु के बने होने चाहिए , जो आसानी से साफ व कीटाणु मुक्त किए जा सके ।

(9) कार्य क्षेत्र से तुरन्त अपशिष्ट को हटाने के लिए पर्याप्त अपशिष्ट पात्र होने चाहिए ।

मसाला लगी मछली को पृथक कर अपशिष्ट का भजीकरण तुरन्त किया जाना चाहिए ।

(10) कपड़े बदलने का पृथक कक्ष उपलब्ध कराना चाहिए , तथा कर्मचारियूद्ध कार्य करने के लिए उपयुक्त कार्य करने के साफ कपड़े और सिर परिधान पहनेंगे ।

(11) मठिला और पुराण कर्मकारों के लिए पर्याप्त रूप से प्रथक-प्रथक प्रसाधन सुविधाएं उपलब्ध होंगी ।

(12) डिटर्जेंट और कीटनाशक इस प्रकार रखने चाहिए , कि उत्पाद या उपकरणों पर विपरीत प्रभाव न पड़े ।

- ( 13 ) पैकिंग संतोषजनक और स्वारक्ष्यकर दशाओं में की जानी चाहिए, ताकि मत्स्य उत्पाद संदूषित न हो सके ।
- ( 14 ) पैकिंग हरा प्रकार होनी चाहिए, कि वह परिवहन के दौरान मौत्राम के उतार चढ़ाव व रख रखाव में क्षति से सुरक्षित रखने में पर्याप्त हों ।

### 3.4 भण्डारण :-

- (1). तैयार उत्पादों के भण्डारण के लिए पृथक कक्षों में अपेक्षित दशाओं की व्यवस्था होगी ।
- (2). भण्डारण का रखरखाव अच्छी स्वारक्ष्यवर्धक रिश्तियों में होना चाहिए ।
- (3). वहां उपयुक्त प्रकाश और संचातन की व्यवस्था होनी चाहिए ।
- (4.) दीवारें और तल सील रोधक होंगी ।
- (5) अंडारण में उपयुक्त मक्खी रोधक और कीट नियंत्रण प्रबंध होने चाहिए ।
- (6) पैक की हुई सूखी मत्स्य का भण्डारण कक्ष में ढेर लगाने के लिए पर्याप्त प्रबंध होना चाहिए ।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया :- ( 1 ) शुष्क मत्स्य का निर्यात करने के लिए आशयित कोई परेषण की विशिष्टियां देते हुए, अभिकरण के निकटतम कार्यालय को आवेदन देगा, ताकि वह ऐसे परेषण की परीक्षा इस दृष्टि से कर सके या करवा सके कि परेषण नियम 3 में निर्दिष्ट विनिर्देशों के अनुसार है ।

( 2 ) प्रत्येक आवेदन उपनियम ( 1 ) के अधीन निर्यातकर्ता के परिस्तर से परेषण पोत लदान के लिए भेजे जाने की प्रत्याधित तारीख से कम से कम तीन दिन पूर्व दिया जाएगा ।

( 3 ) अभिकरण उपनियम ( 2 ) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर इस विभिन्न परिषद् द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार शुष्क मत्स्य के परेषण का निरीक्षण करेगा, और स्वयं यह समाधान करेगा कि परेषण, अधिनियम की धारा 6 के खंड ( ब ) के अधीन मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों या निर्यात संविदा में अनुबंध लग से विहित विभिन्न मानकों की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है ।

( 4 ) निर्यातकर्ता अभिकरण को सभी आवंशक सुविधाएं देगा ताकि कुछ ऐसा निरीक्षण करने में समर्थ हो सके ।

5. प्रमाणीकरण :- ( 1 ) यदि परेषण का निरीक्षण करने के पश्चात् अभिकरण का यह समाधान हो जाता है कि वह अधिनियम की धारा 6 के खंड ( ब ) के अधीन मान्यताप्राप्त या मानक विनिर्देशों या निर्यात संविदा में यंत्र अनुबंधों के अनुसार है और इसे इन नियमों के अनुसार पैक और विनिहत किया गया है तो वह अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 3 ) के अधीन निरीक्षण की तारीख से तीन दिन के भीतर यह घोषणा करते हुए, एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि परेषण निर्यात योग्य है ।

( 2 ) जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं होता है, वहां वह उक्त तीन दिन की अवधि के भीतर ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने से इकार कर देगा और ऐसे इकार की सूचना उसके कारण सहित निर्यातकर्ता को देगा ।

6. निर्यात के लिए पैकिंग और बिल्डिंग किया जाना :- ( 1 ) शुष्क मत्स्य को निर्यात संविदा में, जो यथोविनिर्दिष्ट है, के अनुसार पैक कियाँ जाएगा ।

( 2 ) उपनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट किरी करार की अनुपरिश्ति में उसे चटाई और मजबूत बोरियों, मजबूत दौड़ी बोरियों, मजबूत हैसियन कपड़ों, लकड़ी की पौटियों में पैक किया जाएगा ।

(3) प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित विशिष्टियां अभिट स्थाही से अंकित की जाएगी, या निम्नलिखित विशिष्टियां सहित लेबल लगाया जाएगा। अर्थात् :

- (क) सामग्री का नाम तथा विस्तर ;
- (ख) अंतर्वस्तु का शुद्ध भार और पैकेजों का कुल भार ;
- (ग) पोत परिवहन चिन्ह : और
- (घ) गंतव्य पत्तन ।

7 निरीक्षण का स्थान : (1) इन नियमों के प्रयोजन के लिए निरीक्षण निर्यातकर्ता के परिसर में किया जाएगा, जिसमें प्रकाश की अच्छी व्यवस्था होगी, और जिसे स्वच्छ और रबारश्यप्रद दशाओं में रखा जाएगा और उसमें तोलने, पैक करने और निरीक्षण की आवश्यक सुविधाएँ भी होंगी ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट परिसरों पर निरीक्षण के अंतिरिक्त अण्डारित परेषण की क्यालिटी का अभिवहन में या पत्तनों पर या मार्गरथ में है का पुनः अंकन करने का अभिकरण को अधिकार होगा जैसा वह इन नियमों के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक रामङ्गे ।

(3) परेषण, का अधिनियम के नियम 6 के खंड (ग) के अधीन मान्यताप्राप्त विनियोगों या उपनियम (2) में निर्दिष्ट किसी प्रक्रम पर निर्यात संविदा में अनुबद्धता के अनुसार बही पाए जाने की दशा में नियम 5 के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र रह कर दिया जाएगा ।

8 निरीक्षण फीस : प्रति परेषण न्यूनतम् 50 रुपए के अधीन रहते हुए, परेषण के पोत पर्यवर्त निःशुल्क गूल्य के 0.4 प्रतिशत की दर से फीस अभिकरण को दी जाएगी ।

9. अपील :- (1) कोई भी निर्यातकर्ता जो नियम 5 के अधीन अभिकरण द्वारा प्रमाण - पत्र जारी करने से इंकार किए जाने से व्यक्ति है, उसके द्वारा ऐसे इंकार की सूचना की प्राप्ति से उचित अवधि के भीतर विशेषज्ञ पैनल को अपील कर सकेगा, जिसमें केवलीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कर्म तीन किन्तु अधिक से अधिक संस्तुत व्यक्ति होंगे ।

(2) निर्यातकर्ता पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई सदस्य और शासकीय होंगे ।

(3) पैनल के सदस्यों की गणपूर्ति तीन से होगी ।

(4) अपील की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर उस का निपटारा कर दिया जाएगा ।

(5) ऐसी अपील ने अपीलीय पैनल का विनिश्चय अंतिम होगा ।

## अनुसूची

( नियम 2 (4) देरिवा )

क्रम संख्या	फिरमे	वैज्ञानिक नाम ( प्रजापति )
1.	2.	3.
1.	सुरमई	साईबियम एसपी.
2.	अनजिला	साईबियम एसपी.
3.	बलाच ( दूना )	थाइनस एसपी.
4.	परचा	कैरेन्कस एसपी.
5.	कट्टा	कौरिनेम्स एसपी.
6.	कोइक्वा ( ज्यू फिस / थोल फिस )	सिएना, स्यूडो सिएनिआ,
7.	लवाचा	सरानस
8.	स्पाटस / एनकोविस	स्टोलफोरस / एन्कोविली
9.	वैलाइनथोली	स्टोलफोरस / एन्कोविली
10.	कूनी ( ज्ञावला )	पिनेयियस एसपी.
11.	खोल रहित झींगे	पिनेयियस, मैटापिनेयियस पैसापिनैओपरिस
12.	खोल सहित झींगे ( करदी )	पिनेयियस, मैटापिनेयियस पैसापिनैओपरिस,
13.	थार्क	स्फोलिडना एसपी.
14.	मदुआ ( रेफिस )	द्राईगोन, माइलियोबाथिडा
15.	अंगुलवा ( कैट फिस )	परियस एसपी.
16.	अंगुलवा ( तुतिकोरिन )	परियस एसपी.
17.	हुल्लप	सारडिनेल्ला: सिर्म
18.	सूदाचा	सारडिनेल्लां गिब्बोसा
19.	गोरोल्लो	हिमिरहमपस
20.	वैंगगनाचा	पिलोना एसपी.
21.	पंखा स्नाल	कारानोकरां एसपी.
22.	कुबालाचा ( मैकेरल )	गार्फीलिंगर कानागुरटा
23.	थोन्डेस शुष्क	दसरुमेरिया एकुटा
24.	चीव्वा कीलम.	लोधिनस, प्रिओनेक, लयूटिएनस गैटरिना और पिरटीपोमा एसपी.
25.	जीला	स्पैरीना एसपी.
26.	वलाइहंदम	चिसेसेन्टरस एसपी.
27.	थालापथ	मिरापिअोफोर्स एसपी.
28.	मूर्थीला	हलैकटो एस पी पी,
29.	पुलुंबा ( लपीसा )	हलैकट्रीयस एस पी पी,
30.	थोन्डाचा ( नमक सहित और शुष्क )	डसरमेरिया एस पी पी,
31.	बोलन	डिकेम्हर्टा एस पी पी,
32.	कोली ( नमक-रहित )	पंजोकेटस एसपी.
33.	कोली ( नमक-सहित )	पंजोकेटस एसपी.
34.	सलेझे ( औसत रोरेडाइन और मालाचार )	सारहीनेल्ला लोगोरीसेत्स
35.	सलायस	सारडीनेल्ला गिब्बोसा, सारडीनेल्ला फिम्बरीएट,
		सारडीनेल्ला अलबेला, कोली एस पी पी
36.	शुष्क बोम्बे डक	हारपोदिन नैहरियस
37.	लैमिनेटेड बोम्बे डक	हारपोदिन नैहरियस

38.	छोटी अंगुलूवा( हळबर )	परिवर्तने एस पी पी
39.	सिल्वर बैली ( मुळैन )	लियोगनैथस एस पी पी
40.	सोल फिस ( मंथाल )	साइनोगलोसस एस पी पी
41.	रिब्बन फिस	थियूरस एसपी.

[ फा. सं. 6/5/2000-ईआई एण्ड ईपी ]

एम.डि.पि.सि. शास्त्री, संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2002

S.O. 1376(E).—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) and in supersession of the Notification of the Government of India, in the Ministry of Commerce No. S.O. 3332A dated 20<sup>th</sup> June, 1985 except as respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement**— (1) These rules may be called the Export of Dried Fish (Quality Control and Inspection) Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**— In these rules, unless the context otherwise requires,

(1) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(2) "Agency" means any one of the Agencies at Mumbai, Kolkata, Kochi, Delhi and Chennai, established under section 7 of the Act;

(3) "Council" means Export Inspection Council established under section 3 of the Act;

(4) "Dried Fish" means any of the trade varieties of dried fish as specified in the Schedule annexed to these rules.

3. **Quality Control or Inspection:**— 3.1 Quality Control or Inspection of Dried Fish intended for export shall be carried out with a view to seeing that the Dried Fish conforms to the standard specifications as detailed hereunder.

(1) Salting operations take place in different premises and sufficiently removed from the premises where other operations are carried out.

(2) There shall be facilities for weighing, cemented tanks for washing and racks for draining out water from the surface of fish.

(3) Table for dressing of fish be provided. After dressing the fish, it shall be properly washed. For draining out excess water from the washed fish, a table with a top of non-corrosive expanded mesh with holes shall be provided.

- (4) Salt used in the treatment of fish products shall be clean and stored in such a way that contamination is precluded. Left out portion, if any, of the salt shall not be reused.
- (5) Any container used for salting or brining shall be of such type that precludes any contamination during the salting or brining process.
- (6) Containers or areas used for salting or brining shall be cleaned before use.
- (7) The fish shall be individually salted properly on the flesh side and arranged in curing vats. The vats shall be kept on raised platform to avoid direct contact with floor and permit proper cleaning of the floor.

3.2 Drying:- Any of the following methods shall be used for drying.

3.2.1 Sun Drying:

- (1) The fish shall be dried in open sunlight in a clean place but away from pollution and traffic.
- (2) Small fish may not be eviscerated. Large fish shall be eviscerated and washed before drying in an approved place. Potable water shall be used for washing.
- (3) Any area with cemented or blacktopped place shall be used for drying the fish on the scaffolds. Utilization of cemented grounds for other purposes, and also washing and cleaning of fish under scaffolds are forbidden.
- (4) While hanging of fish on scaffolds, the lower rows shall be placed at the height of not less than 0.8 meter from the ground.

3.2.2 Artificial Drying:

- (1) Walls and ceiling of closed rooms that are intended for dry curing of fish in artificial conditions shall be smooth and subjected easily to sanitary treatment.
- (2) The chambers intended for dry curing of fish in artificial condition shall be equipped with measuring apparatus of distance type.

3.3 Building and facilities:

- (1) The packing establishment shall be housed in a building of permanent nature affording sufficient protection from normal climatic hazards. The design and lay out shall be such as to preclude contamination of the product.
- (2) The food handling areas shall be completely separated from the area used for residential purpose.
- (3) There shall be adequate natural or artificial lighting (110-220 Lux).
- (4) There shall be adequate ventilation.

- (5) The packing area shall be provided with effective fly proofing and measures to prevent entry of insects, rodents, birds and animals;
- (6) The floor, walls, and ceiling of the rooms shall be smooth and subjected to sanitary treatment.
- (7) All entry points shall be provided with feet washing and hand washing facilities.
- (8) Instruments and utensils shall be of corrosion resistant material; easy to clean and disinfect.
- (9) Adequate waste receptacles shall be provided for frequent removal of waste from the working area. The separation of dressed fish and evisceration wastes shall be rapid.
- (10) Change rooms shall be provided for workers. Staff shall wear suitable clean working clothes and headgears.
- (11) Adequate separate toilet facilities shall be provided for male and female workers.
- (12) Detergents and disinfectants shall be kept in such a way to prevent adverse affects on the equipment or products.
- (13) Packing shall be carried out under satisfactory conditions of hygiene to preclude contamination of the fishery products.
- (14) The packaging shall be adequate to protect it from ravages of weather during transport as well as damages due to handling.

#### 3.4 Storage:

- (1) Isolated chambers for the storage of finished products with required temperature conditions shall be provided.
- (2) The storage shall be maintained in good hygienic conditions.
- (3) There shall be adequate lighting and ventilation.
- (4) The walls and floors shall be damp proof.
- (5) The storage should have suitable fly proofing and pest control arrangements.
- (6) Proper arrangements shall be made for stacking the packaged Dried Fish in the storage room.

4. **Procedure of Inspection** - (1) An exporter intending to export Dried Fish shall submit an application to the nearest office of the Agency, giving particulars of the consignment intended to be exported, to enable it to examine such consignment to see whether the same conforms to the specification referred to in Rule 3;

(2) Every application in sub-rule (1) shall be made not less than three days before the anticipated date of dispatch of the consignment from the exporter's premises for shipment;

- (3) On receipt of the application referred to in sub-rule (2) the Agency shall inspect the consignment of Dried Fish as per the instructions issued by the Council in this behalf and satisfy itself that the consignment complies with the requirements of the standard specifications recognized under clause (c) of section 6 of the Act or as different standards prescribed as stipulated in the export contract;
- (4) The exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such inspection.

**5. Certification** – (1) If after inspection of the consignment, the Agency is satisfied that the same conforms to the standard specifications recognized under clause (c) of section 6 of the Act, or as stipulated in the export contract, and has been packed and marked according to these Rules, it shall issue a certificate under sub-section (3) of section 7 of the Act within three days from the date of inspection declaring the consignment as export worthy.

(2) Where the Agency is not so satisfied, it shall, within the said period of three days, refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with the reasons therefor.

**6. Packing and Marking for export** – (1) The Dried Fish shall be packed as specified in the export contract.

(2) In the absence of any agreement referred to in sub-rule (1), the same shall be packed in mat and sound gunny bags, sound double gunny bags, sound Hessian clothes; wooden cases.

(3) Each package shall be marked with indelible ink or labeled with the following particulars, namely:

- (a) Name and variety of the material;
- (b) Net weight of contents and the gross weight of the packages;
- (c) Shipping marks; and
- (d) Port of destination.

**7. Place of inspection** – (1) Inspection for the purpose of these rules shall be carried out at the exporter's premises, which shall be well lighted and maintained in sanitary and hygienic conditions and shall also have necessary facilities for weighing, packing and inspection.

(2) In addition to the inspection at the premises referred to in sub-rule (1), the Agency shall have the right to reassess the quality of the consignment in the storage, in transit or at the ports, as it may consider necessary to carry out the purpose of these rules.

(3) In the event of the consignment being found not conforming to the specifications recognized under clause (c) of rule 6 of the Act, or as stipulated in the export contract at any of stages referred to in sub-rule (2) the certificate issued under rule 5 shall be cancelled.

8. Inspection fee.—A fee at the rate of 0.1 per cent of the free on board (FOB) value of the consignment, subject to a minimum of Rupees 50 per consignment, shall be paid to the Agency.

9. Appeal.—(1) Any exporter aggrieved by the refusal of the Agency to issue a certificate under rule 5, may within ten days of the receipt of the communication for such refusal by him, prefer an appeal to a Panel of Experts consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by the Central Government.

- (2) At least two-thirds of the total membership of the Panel of experts shall consist of non-officials.
- (3) The quorum of the Panel shall be three.
- (4) The appeal shall be disposed of within 15 days of its receipt.
- (5) The decision of the panel in such appeal shall be final.

#### SCHEDULE

[See rule 2 (4)]

Sl. No.	Variety (1)	Scientific Name (Species) (3)
1.	Seer	<i>Cybium sp.</i>
2.	Angila	<i>Cybium sp.</i>
3.	Balaya (Tuna)	<i>Thynnus sp.</i>
4.	Parawa	<i>Caranx sp.</i>
5.	Katta	<i>Chorinemus sp.</i>
6.	Koduwa (Jew Fish/Ghol Fish)	<i>Sciaena, Pseudo sciane sp.</i>
7.	Lavaya	<i>Serranus sp.</i>
8.	Spratls/Anchovis	<i>Stolephorus/Anchovilla sp.</i>
9.	Valainetholi	<i>Stolephorus/Anchoville sp.</i>
10.	Kooney (Jawla)	<i>Acetes, (small)</i>
11.	Prawns without shell	<i>Penaeus, Metapenaeus,</i> <i>Parapenaeopsis sp.</i>
12.	Prawns with shell (Kardi)	<i>Penaeus, Metapenaeus,</i> <i>Parapenaeopsis sp.</i>
13.	Shark	<i>Scoliodon sp.</i>
14.	Maduwa (Ray-fish)	<i>Pristis, Galeourda</i> <i>Trygon, Myliobatida</i>
15.	Anguluwa (Cat fish)	<i>Arius sp.</i>
16.	Anguluwa (Tuticorin)	<i>Arius sp.</i>
17.	Hurulla	<i>Sardinella sirim</i>
18.	Soodaya	<i>Sardinella gibbosa</i>
19.	Morollo	<i>Hemirhamphus sp.</i>
20.	Venganawa	<i>Pellona sp.</i>

21.	Parawa Small	<i>Caranx sp.</i>
22.	Kumbalawa (Mackerel)	<i>Rastrelliger kanagurta</i>
23.	Thondaya Dried	<i>Dussumeria acuta</i>
24.	Chevva Keelam	<i>Lethrinus, Aprion,</i> <i>Lutianus Gaterina &amp;</i> <i>Pristipoma sp.</i>
25.	Jeela	<i>Sphyraena sp.</i>
26.	Valaikandam	<i>Chirocentrus sp.</i>
27.	Thalapath	<i>Misgurnus sp.</i>
28.	Moothilla	<i>Elacto spp.</i>
29.	Pulunno (Lapisa)	<i>Lacterius spp.</i>
30.	Thondaya salted and dried	<i>Dussumeria spp.</i>
31.	Bolān	<i>Decapterus spp.</i>
32.	Kōli (unsalted)	<i>Exocoetus sp.</i>
33.	Kōli (Salted)	<i>Exocoetus sp.</i>
34.	Salaya (Oil Sardine of Malabar)	<i>Sardinella longiceps</i>
35.	Salaya	<i>Sardinella gibbosa,</i> <i>Sardinella fimbriata,</i> <i>Sardinella albella,</i> <i>Colle spp.</i>
36.	Dried Bombay Duck	<i>Harpodon nehereus</i>
37.	Laminated Bombay Duck	<i>Harpoden nehereus</i>
38.	Anguluwa Small (Dubar)	<i>Arius</i>
39.	Silver Belly (Mullen)	<i>Léognathus spp.</i>
40.	Sole Fish (Manthal)	<i>Cynoglossus spp.</i>
41.	Ribbon Fish	<i>Thichuris sp.</i>

[F. No. 6/5/2000-EI&amp;EP]

M.V.P.C. SASTRY, Jt. Secy.



**EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (ii)**

Appearing on Page Nos. 420—421

Dated 31-1-2004

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2004

का.आ. 233.—केन्द्रीय सरकार निर्यात (व्हालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शुष्क मत्स्य निर्यात (व्हालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शुष्क मत्स्य निर्यात (व्हालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 2003 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. शुष्क मत्स्य निर्यात (व्हालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2002 के नियम 9 के उप-नियम (5) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 6/5/2000-ई आई एण्ड ई पी]  
राज सिंह, उप सचिव

टिप्पण :—मूल नियम का. आ. 1376(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2002 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किए गए थे।

(Department of Commerce)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th January, 2004

S.O. 233.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Dried Fish (Quality Control and Inspection) Rules, 2002, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Export of Dried Fish (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 2003.  
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Export of Dried Fish (Quality Control and Inspection) Rules, 2002, in rule 9, the sub-rule (5) shall be omitted.

[F. No. 6/5/2000-EI & EP]  
RAJ SINGH, Dy. Secy.

Note :—The Principal rules were published in the Gazette of India, in Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S. O. 1376(E) dated the 30th December, 2002.



EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (ii)

Appearing on Page No. 5208

Dated 4-9-2004

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(वाणिज्य विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2004

का.आ. 2165.—भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. सं. 233, तारीख 13 जनवरी, 2004 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 31 जनवरी, 2004 के पृष्ठ 420-421 में प्रकाशित, शुद्ध मत्स्य नियर्थ (व्यालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 2003 से संबंधित नियम (1) के उपनियम (1) में “संशोधन नियम, 2003” के स्थान पर, “संशोधन नियम, 2004” पढ़ें।

[फा. सं. 6/5/2000-ईआई एंड ईपी]

राज सिंह, निदेशक

(Department of Commerce)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 23rd August, 2004

S. O. 2165.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry number S. O. No. 233 dated the 13th January, 2004, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 31st January, 2004 at pages 420-421 relating to the Export of Dried Fish (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 2003, in rule 1, in sub-rule (1), for “Amendment Rules, 2003” read “Amendment Rules, 2004”.

[F. No. 6/5/2000-HI&EP]

RAJ SINGH, Director

T-22 (Notification file)

Dry fish - T-66



**EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (ii)**

Appearing on Page Nos. 2006—2010

Dated 5-3-2005

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2005

का.आ. 715.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (व्हालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुरुध उत्पाद के निर्यात (व्हालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दुरुध उत्पादों के निर्यात (व्हालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) संशोधन नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. दुरुध उत्पादों के निर्यात (व्हालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2000 में नियम 8, के उपनियम 8.4 के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8.4 अपील का निपटारा उसकी प्राप्ति के तीस दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।"

[फा. सं. 6/1/2000-ईआई एण्ड ईपी]

राज सिंह, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं. का.आ. 2720 तारीख 16 दिसंबर, 2000 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. का.आ. 3719 तारीख 30 नवम्बर, 2002 और का.आ. 999(अ) तारीख 13 सितम्बर, 2004 द्वारा संशोधित किए गए थे।

**(Department of Commerce)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th February, 2005

S.O. 715.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Milk Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2000, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Milk Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Amendment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Milk Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2000, in rule 8, for sub-rule 8.4, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"8.4 The appeal shall be disposed of within thirty days of its receipt."

[F. No. 6/1/2000-EI & EP]

RAJ SINGH, Director

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number S.O. 2720 dated the 16th December, 2000 and subsequently amended vide notifications number S.O. 3719 dated the 30th November, 2002 and S.O. 999(E) dated the 13th September, 2004.

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2005

का.आ. 716.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (व्हालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बासमती चावल के निर्यात (व्हालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2003 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बासमती चावल के निर्यात (व्हालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. बासमती चावल के निर्यात (व्हालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2003 में नियम 8,—(i) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) अपील का निपटारा उसकी प्राप्ति के तीस दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।"

(ii) खंड (घ) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 6/2/2000-ईआई एण्ड ईपी]

राज सिंह, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं. का.आ. 68(अ) तारीख 23 जनवरी, 2003 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 25th February, 2005

S.O. 716.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Basmati Rice (Quality Control and Inspection) Rules, 2003, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Basmati Rice (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Basmati Rice (Quality Control and Inspection) Rules, 2003, in rule 8,—

(i) for clause (d) the following clause shall be substituted, namely :—

"(d) The appeal shall be disposed of within thirty days of its receipt."



(ii) clause (e) shall be omitted.

[F. No. 6/2/2000-EI & EP]  
RAJ SINGH, Director

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number S.O. 68(E) dated the 23rd January, 2003.

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2005

का.आ. 717.—केन्द्रीय सरकार, नियाति (बवालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ताजी, शीतित, और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पादों के नियाति (बवालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ताजी, शीतित, और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पादों के नियाति (बवालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) संशोधन नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ताजी, शीतित, और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पादों के नियाति (बवालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 1995 में नियम 17 के उपनियम 17.4 के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"17.4 अपील का निपटारा उसको प्राप्ति के तीस दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।"

[फा. सं. 6/2/2001-ईआई एण्ड ईपी]

राज सिंह, निदेशक

**टिप्पणी :** मूल नियम, अधिसूचना सं. का.आ. 730(अ) तारीख 21 अगस्त, 1995 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. का.आ. 415(अ) तारीख 11 अप्रैल, 2002, का.आ. 1029(अ) तारीख 24 सितम्बर, 2002 और का.आ. 1034(अ) तारीख 9 सितम्बर, 2003 द्वारा संशोधित किए गए थे।

New Delhi, the 25th February, 2005

S.O. 717.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 1995, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Amendment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 1995, in rule 17, for sub-rule 17.4, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"17.4 The appeal shall be disposed of within thirty days of its receipt."

[F. No. 6/2/2001-EI & EP]  
RAJ SINGH, Director

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number S.O. 730(E) dated the 21st August, 1995 and subsequently amended *vide* notifications number S.O. 415(E) dated the 11th April, 2002, S.O. 1029(E) dated the 24th September, 2002 and S.O. 1034(E) dated the 9th September, 2003.

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2005

का.आ. 718.—केन्द्रीय सरकार, नियाति (बवालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बायवाल्व मोलस्कस के नियाति (बवालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2003 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बायवाल्व/मोलस्कस के नियाति (बवालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) संशोधन नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. बायवाल्व मोलस्कस के नियाति (बवालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2003 में नियम 10 के उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(4) अपील का निपटारा उसकी प्राप्ति के तीस दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।"

[फा. सं. 6/3/2002-ईआई एण्ड ईपी]

राज सिंह, निदेशक

**टिप्पणी :** मूल नियम, अधिसूचना सं. का.आ. 668(अ) तारीख 10 जून, 2003 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 25th February, 2005

S.O. 718.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Bivalve Molluscs (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2003, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Bivalve Molluscs (Quality Control, Inspection and Monitoring) Amendment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Bivalve Molluscs (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2003, in rule 10, for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(4) The appeal shall be disposed of within thirty days of its receipt."

[F. No. 6/3/2002-EI & EP]

RAJ SINGH, Director

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number S.O. 668(E) dated the 10th June, 2003.

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2005

का.आ. 719.—केन्द्रीय सरकार, नियाति (बवालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ताजा मुर्गी मांस और मुर्गी मांस



उत्पादों के नियर्त (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ताजा मुर्गी मांस और मुर्गी मांस उत्पादों के नियर्त (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) संशोधन नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ताजा मुर्गी मांस और मुर्गी मांस उत्पादों के नियर्त (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2002 में नियम 8, के उपनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(6) अपील का निपटारा उसकी प्राप्ति के तीस दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।"

[फा. सं. 6/2/98-ईआई एण्ड ईपी]

राज सिंह, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 1378(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2002 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. का.आ. 233 तारीख 31 जनवरी, 2004 द्वारा संशोधित किया गया था।

"(4) अपील का निपटारा उसकी प्राप्ति के तीस दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।"

[फा. सं. 6/5/2000-ईआई एण्ड ईपी]

राज सिंह, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 1376(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2002 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. का.आ. 233 तारीख 31 जनवरी, 2004 द्वारा संशोधित किया गया था।

New Delhi, the 25th February, 2005

S.O. 720.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Dried Fish (Quality Control and Inspection) Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Dried Fish (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Dried Fish (Quality Control and Inspection) Rules, 2002, in rule 9, for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(4) The appeal shall be disposed of within thirty days of its receipt."

[F. No. 6/5/2000-EI & EP]

RAJ SINGH, Director

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number S. O. 1376(E), dated the 30th December, 2002 and subsequently amended *vide* notification number S. O. 233, dated the 31st January, 2004.

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2005

का.आ. 721.—केन्द्रीय सरकार, नियर्त (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंडा उत्पाद के नियर्त (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 1997 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंडा उत्पादों के नियर्त (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अंडा उत्पादों के नियर्त (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 1997 में नियम 8 के उपनियम 8.6 के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा अर्थात् :—

"8.6 अपील का निपटारा उसकी प्राप्ति के तीस दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।"

[फा. सं. 6/1/95-ईआई एण्ड ईपी]

राज सिंह, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 2078, तारीख 23 अगस्त, 1997 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. का.आ. 1443(अ), तारीख 19 दिसम्बर, 2003 द्वारा संशोधित किए गए थे।

Note : The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary *vide* notification number S.O. 1378(E), dated the 30th December, 2002.

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2005

का.आ. 720.—केन्द्रीय सरकार, नियर्त (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूखी मछली के नियर्त (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूखी मछली के नियर्त (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सूखी मछली के नियर्त (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2002 में नियम 9 के उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा अर्थात् :—



New Delhi, the 25th February, 2005

S.O. 721.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Egg Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 1997, namely:—

1. (1) These rules may be called the Export of Egg Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Amendment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Egg Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 1997, in rule 8, for sub-rule 8.6, the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“8.6 The appeal shall be disposed of within thirty days of its receipt.”

[F. No. 6/1/95-EI & EP]  
RAJ SINGH, Director

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number S. O. 2078, dated the 23rd August, 1997 and subsequently amended *vide* notification number S. O. 1443(E), dated the 19th December, 2003.

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2005

का.आ. 722.—केन्द्रीय सरकार, नियात (बवालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूखी मछली माव्स के नियात (बवालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूखी मछली माव्स के नियात (बवालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सूखी मछली माव्स के नियात (बवालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2002 में नियम 9,—

(क) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा अर्थात्:—

“(4) अपील का निपटारा उसकी प्राप्ति के तीस दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।”;

(ख) उपनियम (5) का लोप किया जाएगा।

[फा० सं० 6/6/2000/ईआई एण्ड ईपी]

राज सिंह, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं० का०आ० 2877, तारीख 14 सितम्बर, 2002 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 25th February, 2005

S.O. 722.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Dried Fish Maws (Quality Control and Inspection) Rules, 2002, namely:—

1. (1) These rules may be called the Export of Dried Fish Maws (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 2005.

MGIPIRRND—664 C&I/05—300.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Dried Fish Maws (Quality Control and Inspection) Rules, 2002, in rule 9,—

(a) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(4) The appeal shall be disposed of within thirty days of its receipt.”

(b) sub-rule (5) shall be omitted.

[F. No. 6/6/2000-EI & EP]  
RAJ SINGH, Director

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number S. O. 2877, dated the 14th September, 2002.

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2005

का.आ. 723.—केन्द्रीय सरकार, नियात (बवालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22)-की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, काजू की गिरियों के नियात (बवालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1986 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम काजू की गिरियों के नियात (बवालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. काजू की गिरियों के नियात (बवालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1986 में नियम 4, के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(घ) अपील का निपटारा उसकी प्राप्ति के तीस दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।”

[फा० सं० 6/(9)/83/ईआई एण्ड ईपी]

राज सिंह, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं० का०आ० 783, तारीख 1 मार्च, 1986 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 25th February, 2005

S.O. 723.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Cashew Kernels (Quality Control and Inspection) Rules, 1986, namely:—

1. (1) These rules may be called the Export of Cashew Kernels (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Cashew Kernels (Quality Control and Inspection) Rules, 1986, in rule 4, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:—

“(d) The appeal shall be disposed of within thirty days of its receipt.”

[F. No. 6(9)/83-EI & EP]  
RAJ SINGH, Director

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number S. O. 783, dated the 1st March, 1986.

